न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 07/2020 RCMS No.—2020/00023

श्रीमति इन्दू पत्नी श्री नन्दकिशोर महला उम्र लगभग 80 वर्ष निवासी महलाफार्म ग्राम टोडीरामजानीपुरा, लुनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. प्रिया चौधरी पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह निवासी महलाफार्म ग्राम टोडीरामजानीपुरा, लुनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. भव्या पुत्री श्री राजेन्द्र सिंह नाबालिग जरिये संरक्षिका माता प्रिया चौधरी निवासी महलाफार्म ग्राम टोडीरामजानीपुरा, लुनियावास, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील साांगनेर जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्व नामान्तकरण संख्या 121 दिनांक 09.10.2014 तस्दीक द्वारा तहसीलदार तहसील सांगानेर।

———————

उपस्थितः–
1. श्री अशोक उपाध्याय अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री जगमोहन आलोरिया अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट 1 व 2 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 12.11.2020

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, सांगानेर के निर्णय दिनांक 09.10.2014 जिससे नामान्तरकरण संख्या 121 वाके ग्राम टोडीरमजानीपुरा, तहसील सांगानेर रेस्पाडेन्ट संख्या 1 एवं 2 के नाम स्वीकार किया गया से असंतुष्ट होकर दिनांक 27.02.2020 को इस न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 एवं 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जगमोहन आलोरिया उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या–3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस पत्रावली पर बहस विद्वान उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.10.2014 नामान्तकरण संख्या 121 विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। ग्राम टोडीरमजानीपुरा, तहसील सांगानेर स्थित आराजी खसरा नम्बर 119/1, 105, 116/1, 101, 102, 114, 100/1, 106/1 के

Signature Not Verified

Digitally signed by Iqbal Khan
Date: 2020.12.14 15:54:26 IST
Reason: SelfAttested

रिकार्डे खातेदार अपीलांट के पुत्र राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री नन्दकिशोर थे। राजेन्द्र सिंह पुत्र नन्दकिशोर के स्वर्गवास के पश्चात रेस्पा0 संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियो से साठ गांठ कर राजेन्द्र सिंह का सजरा खानदान गलत प्रस्तुत कर स्वयं के एवं अपनी नाबालिग पुत्री के नाम विधि विरूद्व तरीके से रेस्पाडेन्ट संख्या 3 तहसीलदार सांगानेर द्वारा तस्दीक करवा लिया। जबकि अपीलांट राजेन्द्र सिंह पुत्र नन्दकिशोर की जायन्दा माता है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस होने के कारण राजेन्द्र सिंह की सम्पत्ति में रेस्पाडेन्ट के बराबर हक हिस्सा व अधिकार अपीलांट में निहित है। रेस्पाडेन्ट संख्या 3 तहसीलदार सांगानेर ने बिना मौके व कब्जे की जांच किये एवं बिना सजरा खानदान पर गौर किये अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि पर शांति पूर्ण तरीके से अपने हिस्से का उपयोग उपभोग करती चली आ रही है लेकिन दिनांक 22.02.2020 को रेस्पाडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तकरण के बारे में पता चला जिसके पश्चात अपीलांट ने अविलम्ब माननीय न्यायालय में अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक नियमों के विरूद्व अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर द्वार निर्णित नामान्तकरण संख्या 121 दिनांक 09.10.2014 को निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 ने कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण 6 वर्ष पूर्व ही तस्दीक किया जा चुका है, अपील 6 वर्ष पश्चात पेश की गयी है। तहसीलदार सांगानेर द्वारा मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा वार्ड पार्षद के राजेन्द्र सिंह फौत की विरासत का नामान्तकरण सजरा अनुसार स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर द्वारा नियमानुसार ही नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण रेस्पाडेन्ट संख्या 3 सजरा रिपोर्ट एवं विरासत के आधार पर नियमानुसार नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। अपीलाधीन आदेश न्यायोचित होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान उपस्थित अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण संख्या 121 ग्राम टोडीरमजानीपुरा तहसील सांगानेर के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त नामान्तरकरण राजेन्द्र सिंह के फौत होने पर मुताबिक सजरा वार्ड पार्षद के अनुसार विरासत के आधार पर दिनांक 11.09.2014 को पटवारी हल्का द्वारा रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में भरा जाकर प्रस्तुत होने पर पेश किया गया जिसे तहसीलदार सांगानेर द्वारा दिनांक 09.10.2014 को तस्दीक किया गया। विद्वान अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण हिन्दु उत्तराधिकार नियमों के विपरीत जाकर तस्दीक किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Iqbal Khan
Date: 2020.12.14 15:54:26 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8(क) अनुसार निर्वसीयत फौत होने वाले व्यक्ति की सम्पत्ति में हक प्रथमतः उन वारिसो को दिया जाना न्यायसंगत है जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट संबंधी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण राजेन्द्र सिंह पुत्र नन्दकिशोर के फौत होने पर उनकी पत्नी एवं नाबालिक पुत्री रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में तस्दीक किया गया है जबकि अपीलांट राजेन्द्र सिंह पुत्र नन्दकिशोर की जायन्दा माता है जो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार अनुसूची के वर्ग 1 में वर्णित वारिसान है एवं अपीलाधीन आराजी में अपीलांट का हक अधिकार निहित है। जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करते समय हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में निहित नियमों की पालना नहीं की गयी है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, सांगानेर का आदेश दिनांक 09.10.2014 बाबत नामान्तरकरण संख्या 121 ग्राम टोडीरमजानीपुरा, तहसील सांगानेर निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, सांगानेर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड (**Remand**) किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान को विधिवत, नियमानुसार सुनवाई का समुचित अवसर देकर, विधिक प्रावधानो के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सांगानेर को पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Iqbal Khan
Date: 2020.12.14 15:54:26 IST
Reason: SelfAttested